।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 15.04.2018

राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या के मामले में चार जने चढे पुलिस के हत्थे

1. **थाना सेवरः–** गत रात्रि को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति हेलक रोड कस्वा सेवर के पास स्थित बगीची के पास मोर की हत्या कर रहे है। उक्त सूचना पर श्री नौहबतसिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता के मुखबिर के बताये सांकेतक स्थान पर पहुंचे तो वहां चार व्यक्ति एक मोर की हत्या कर पकाने की कोशिश करते हुये दिखाई दिये। जिनसे पुलिस द्वारा नाम–पता पूछे तो उन्होंने अपने नाम **1. चम्मनसिंह, 2. फूलसिंह पुत्रान जागीरदार, 3. जेकी** व **4. संजय पुत्रान वन्नालाल जातियान नट निवासियान स्टेशन के पीछे अजमेर हाल डेरा कस्वा सेवर** का होना बताया। पुलिस द्वारा मौके से अधजली अवस्था में मोर के अवशेष, एक छुरा, एक गिलौल व एक लोके का कांटे को जप्त कर चारों आरोपियों को गिरफतार कर थाने पर मु0न0 140/18 धारा 9, 51 वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

घर में अनाधिकृत प्रवेश के मामले का आरोपी गिरफ्तार

1. **थाना नदबईः–** गांव हंतरा थाना नदबई निवासी वीरेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति जाट ने गांव के ही निवासी विनोद पुत्र विज्जो उर्फ विजयसिंह जाति जाट के विरूद्व रात्रि के समय प्रार्थी के घर में अपराध करने की नियत से अनाधिकृत प्रवेश करने का एक मामला कल दिनांक 14.04.2018 को थाना नदबई पर मु0नं0 201/18 धारा 458 आई0पी0सी0 में पंजीवद्व कराया था। श्री महेशचंद स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. विनोद पुत्र विज्जो उर्फ विजयसिंह जाति जाट निवासी हंतरा थाना नदबई** को गिरफतार किया गया है।

दहेज हत्या के मामले में पति सलाखों के पीछे

1. **थाना नदबईः–** गांव खोहरी थाना सेवर निवासी बाबूलाल पुत्र बदनसिंह जाति जाटव ने गांव पहरसर थाना नदबई निवासी अपनी पुत्री के ससुरालीजनों के विरूद्व प्रार्थी की पुत्री कंचन को दहेज के लिये प्रताडित कर आग लगाकर हत्या कर देने का एक मामला दिनांक 20.10.2017 को थाना नदबई पर मु0नं0 624/17 धारा 498ए, 304बी भा0द0सं0 में पंजीवद्व कराया था। थानाधिकारी श्री अरूणकुमार पु0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले में मृतका के पति **1. सौरव पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी पहरसर थाना नदबई** को गिरफतार किया गया है।

सटोरिया बन्द हवालात

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर 2 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 730 रूपये नकद मय सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना रूदावलः–** श्री रामबाबू हैड कानि0 द्वारा कस्वा रूदावल से **1. लोकेश पुत्र जगन जाति जाटव निवासी कस्वा रूदावल** को 730 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 133/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

शराबी कार चालक पुलिस पकड में

1. **थाना मथुरागेटः–** श्री नगेन्द्रकुमार स0उ0नि0 द्वारा सारस चौराहा से शराव के नशे में कार चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी कार चालक **1. राहुल पुत्र लाखनसिंह जाति यादव निवासी नीमदागेट थाना अटलवंद** को गिरफतार कर सफारी कार को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 3 जने गिरफ्तार

1. **थाना मथुरागेटः–** श्री नगेन्द्रकुमार स0उ0नि0 द्वारा सारस चौराहा से 1. अमित पुत्र गिर्राजसिंह जाति जाट निवासी विजयनगर थाना मथुरागेट को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** श्री सम्पतसिंह स0उ0नि0 द्वारा कुम्हेरगेट चौराहा से 1. देवेन्द्र पुत्र मंगतूराम जाति जाटव निवासी कमलपुरा थाना सेवर व 2. देशराज पुत्र प्रभूदयाल जाति जाटव निवासी आनंदनगर थाना कोतवाली भरतपुर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 23 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना बयानाः–** श्री कैलाशचंद उ0नि0 द्वारा भीमनगर तिराया कस्वा बयाना से 1. विजेन्द्र पुत्र रोमी जाति जाटव निवासी नगला प्रयानसुख थाना मगोर्रा जिला मथुरा यू0पी0, 2. राकेश पुत्र सुक्कीराम, 3. सोहनसिंह पुत्र परभाती जातियान जाटव निवासियान कस्वा बयाना, 4. कुमरसिंह व 5. कैलाशी पुत्रान रत्तीराम जाति गुर्जर निवासी लोहटवाडा थाना बयाना को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना रूपवासः–** रूपवास पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. अचलसिंह पुत्र हरीसिंह, 2. चन्द्रप्रकाश, 3. मुरारीलाल पुत्रान मोहकमसिंह, 4. मानवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह, 5. विक्रम, 6. वीरेन्द्र पुत्रान मुरारीलाल जातियान जाट निवासियान ओडेल जाट थाना रुपवास, 7. जगराजसिंह पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी नगला तुलसी थाना रुपवास, 8. प्रेमसिंह पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी टोंटपुर थाना रुपवास, 9. जगदीश पुत्र चन्द्रभान, 10. ओमवीर पुत्र सुखीलाल जातियान जाटव निवासियान नगला सूपा थाना रुपवास व 11. अरविन्द पुत्र विजयराम जाति जाट निवासी नगला जटमासी थाना रूपवास को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना कुम्हेरः–** श्री महेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा थाना परिसर से 1. डिगम्बर पुत्र लालसिंह जाति जाट निवासी भटावली थाना कुम्हेर व 2. राममोहन पुत्र फतेहसिंह जाति जाट निवासी बैलारा थाना नदबई को गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना डीगः–** डीग पुलिस द्वारा कस्वा डीग से 1. रोहताश पुत्र राजेन्द्र जाति ब्राह्मण, 2. बालकिशन पुत्र नेतराम जाति जाटव निवासियान खेरिया पुरोहित थाना डीग व 3. कृष्ण उर्फ लाला पुत्र बदलेसिंह जाति जाट निवासी पास्ता थाना खोह को गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना कैथवाडाः–** श्री सुमेरसिंह स0उ0नि0 द्वारा गांव रांफ से 1. सीटू पुत्र जयराम जाति जाटव निवासी रांफ थाना कैथवाडा को गिरफ्तार किया गया है।

6. थाना कामांः– श्री राममिलन उ0नि0 द्वारा कस्वा कामां से 1. साबिर पुत्र रसीद जाति मेव निवासी अकाता थाना कामां को गिरफ्तार किया गया है।

66 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **66** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में **21** वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी **16** वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में **29** वाहन चालकों के विरूद्व कार्यवाही की गई है।